निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 42 / 2025
दायरा दिनांकः– 02.06.2025
निर्णय दिनांकः– 24.12.2025

उनवान

परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जैपला हाल मुकाम कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां।

...............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.12.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश गालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल जैपला तहसील छबड़ा की जमाबंदी सम्वत 2054–2057 मे खाता संख्या 108 के खसरा नम्बर 259 रकबा 9 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे प्रार्थी ने 1/2 हिस्सा क्रय किया था। उक्त भूमि पर तब से वर्तमान तक प्रार्थी काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की जाति धाकड है। उक्त आराजी मे प्रार्थी की जाति क्रय करने के समय से धाकड दर्ज थी। रोठेशन जमाबंदी सम्वत 2054–57 से सम्वत 2070–73 मे जाति धाकड दर्ज थी। लेकिन अन्तिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2074–77 वर्ष 2023 में सेग्रीकेशन के समय प्रार्थी की जाति धाकड के स्थान पर खाती दर्ज हो गई है। जिसे प्रार्थी ने शुद्ध करवाने के लिए पटवारी एंव तहसीलदार से कई बार निवेदन किया, लेकिन उन्होने उसे शुद्ध नही किया। इस कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजी की जमाबंदी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 127 मे खसरा नम्बर 259 रकबा 2.2764 हैक्टयर भूमि में परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/2 जाति खाती सा. देह दर्ज है। जिसके स्थान पर परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ सा. देह दर्ज रिकार्ड करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि0 है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जेपला खाता सं. 108 सम्वत 2054–57, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 108 सम्वत 2058–61, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 109 सम्वत 2062–65, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 122 सम्वत 2066–69, नकल जमाबंदी खाता सं. 125 ग्राम जेपला सम्वत 2070–73, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 127 सम्वत 2074–77 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड परमानन्द पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम जेपला तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 127 रकबा 2.2764 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 स्थित है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत कई वर्षो से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि की जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे प्राथी की जाति खाती दर्ज है जबकि प्रार्थी की जाति धाकड है। पूर्व की जमाबंदी सम्वत 2058–61, सम्वत 2062–65, सम्वत 2066–69, सम्वत 2070–73 मे प्रार्थी की जाति धाकड दर्ज थी। रोटेशन जमाबंदी बनाते समय सहवन से प्रार्थी की जाति धाकड के स्थान पर खाती दर्ज हो गई है। जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति धाकड है। अतः प्रार्थी की जाति खाती के स्थान पर धाकड दूरस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम जेपला के खसरा नं. 259 सम्वत 2074–77 की जमाबंदी मे परमानन्द की जाति खाती प्रदर्शित हो रही है। पूर्ववत जमाबंदी ग्राम जेपला सम्वत 2070–73 एवं नामान्तरण नं. 761 ग्राम जैपला मे प्रार्थीगण की जाति धाकड है। ग्राम वासियों ने भी इनकी जाति धाकड बताई है। प्रार्थी की जाति खाती के स्थान पर धाकड दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जेपला तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 127 में परमानन्द पुत्र नृसिहलाल हिस्सा 1/2 जाति खाती दर्ज है। पूर्ववत जमाबंदी ग्राम जेपला सम्वत 2054–57 खाता सं. 108, सम्वत 2058–61 खाता संख्या 108, सम्वत 2062–65 खाता संख्या 109, सम्वत 2066–69 खाता संख्या 122, सम्वत 2070–73 खाता संख्या 125 में प्रार्थी की जाति धाकड दर्ज है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट मे भी प्रार्थी की जाति धाकड होना बताया है। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से यह साबित है कि प्रार्थी की जाति पूर्ववत जमाबंदी मे धाकड दर्ज थी, जो सहवन से जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे खाती दर्ज हो गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, प्रार्थी की जाति खाती के स्थान पर धाकड दूरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। विवादित आराजी वाके ग्राम जेपला तहसील छबडा के खाता संख्या 127 में परमानन्द पुत्र नृसिहलाल हिस्सा 1/2 की **जाति खाती के स्थान पर धाकड** दर्ज के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)